समाहरणालय, लातेहार

(राजस्व शाखा)

पत्रांक....1497........../रा0

प्रेषक,

उपायुक्त,
लातेहार।

सेवा में,

मे0 हिण्डाल्को इन्डस्ट्रीज लिमिटेड,
चकला कोल ब्लॉक।

लातेहार, दिनांक....08../..12../2022

विषयः— चकला कोल परियोजना के लिए प्रस्तावित रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग के अंतर्गत पड़ने वाले गैरमजरूआ जंगल—झाड़ी भूमि के अपयोजन हेतु सैद्धांतिक अनापत्ति के संबंध में।

प्रसंगः— राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प संख्या— 1817 दिनांक—30.04.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार एवं अंचल अधिकारी, चंदवा के द्वारा चकला कोल परियोजना के लिए प्रस्तावित रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग के अंतर्गत पड़ने वाले गैरमजरूआ जंगल—झाड़ी भूमि चिन्हित कर प्रतिवेदित किया गया है जो गैरमजरूआ मालिक (बिहार/झारखण्ड सरकार) के खाते की भूमि है, जिसका किस्म जंगल—झाड़ी है, जो अधिसूचित वन सीमा क्षेत्र से बाहर है। निम्न भूमि गैरमजरूआ डीम्ड फॉरेस्ट (जंगल, जंगल—झाड़ी, सखुआ इत्यादि) के रूप में प्रतिवेदित हैः—

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा	किस्म
चकला	280	3115	0.07 ए0	जंगल—झाड़ी
	280	3126	0.02 ए0	जंगल—झाड़ी
	280	3134	0.21 ए0	जंगल—झाड़ी
	280	2921/3930	0.99 ए0	जंगल—झाड़ी
	280	3142	0.05 ए0	जंगल—झाड़ी
	280	3067	0.01 ए0	जंगल—झाड़ी
	280	3118	0.08 ए0	जंगल—झाड़ी
	280	3357	0.12 ए0	जंगल—झाड़ी
कुल			1.55 ए0	

सकल कुल रकबा—1.55 एकड़ गैरमजरूआ जंगल—झाड़ी भूमि के रूप में अंकित भूमि का राजस्व विभाग के संकल्प संख्या—1817 दिनांक—30.04.2015 के आलोक

Rajiv Kumar
Authorised Person
Chakla Coal Mine
Hindalco Industries Limited

8.12.22

मे सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त प्रस्तावित गैरमजरूआ डीम्ड फॉरेस्ट (जंगल, जगल–झाड़ी, सखुआ इत्यादि) श्रेणी की भूमि के अपयोजन हेतु सैद्धांतिक रूप से कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् गैरमजरूआ डीम्ड फॉरेस्ट (जंगल, जगल–झाड़ी, सखुआ इत्यादि) भूमि विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि के निःशुल्क/सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोवस्ती हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

2. गैरमजरूआ डीम्ड फॉरेस्ट (जंगल, जंगल–झाड़ी, सखुआ, इत्यादि) भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद प्रयोक्ता एजेंसी को उक्त भूमि के उपयोग की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक उसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु राज्यादेश नहीं निर्गत कर दिया जाय।

3. हस्तांतरण के पूर्व स्थल जांच कराई जाएगी तथा प्रासंगिक खतियान एवं नक्शा की सत्यापित प्रति से मिलान कर आश्वस्त होने पर ही भूमि का हस्तांतरण किया जाएगा।

4. भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त होने पर प्रश्नगत भूमि के हस्तांतरण हेतु उपर्युक्त वर्णित निदेश के आलोक में विधिवत मन्तव्य सहित अभिलेख/प्रस्ताव आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर के माध्यम से सरकार को भेजी जाएगी

विश्वासभाजन

07/14

उपायुक्त, लातेहार।

10/12/22

Rajiv Kumar
Authorised Person
Chakla Coal Mine
Hindalco Industries Limited